न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी– देवेन्द्र कुमार
आई0ए0एस0

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

प्रा0 पत्र सं0 11/2019 प्रा.पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970

1. गोपाल पुत्र किशना
2. राम मनोहर पुत्र रामला उर्फ रामलाल
3. पूरण पुत्र परमा
4. रमेश पुत्र हट्या उर्फ हट्टूराम

समस्त जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान।

..प्रार्थीगण

बनाम

1. शम्भूलाल पुत्र लोहड्या जाति मीना निवासी मांगाभाटा तहसील दौसा जिला दौसा राजस्थान
2. भू आवंटन सलाहकार समिति एवं उपखंड अधिकारी दौसा
3. तहसीलदार तहसील दौसा जिला दौसा

..अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन रूल्स विरूद्ध आवंटन आदेश आदेश दिनांक 29.6.1969 तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी दौसा जिसके तहत अप्रार्थी नंबर 1 को ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा मे स्थित भूमि खसरा नंबर 46 मे से 8 बीघा भूमि का अवैध आवंटन कर दिया गया।

उपस्थित–1. श्री सतीश कुमार पारीक, अधिवक्ता प्रार्थीगण।
2. श्री संजय कुमार शर्मा, अधिवक्ता अप्राथी सं0 1
3. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक: 30.07.2025

1. संक्षिप्त वृतांत प्रा0 पत्र 14 (4) इस प्रकार है कि आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.6.1969 को ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा के खसरा नंबर 46 रकबा 8 बीघा भूमि का आवंटन अप्रार्थी संख्या 01 को कर दिया। प्रार्थीगण द्वारा इसी आवंटन आदेश से व्यथित होकर यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 14 (4) भू–आवंटन नियम–1970 के तहत प्रस्तुत किया गया।
2. प्रा0 पत्र 14 (4) दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख तलब किया गया।
3. अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी दौसा ने आवंटन रूल्स की अवहेलना करते हुये फोड व धोखे से आवंटन करने का क्षेत्राधिकार नही होने के बावजूद तथा आवंटन की उद्घोषणा जारी किये बिना तथा अप्रार्थी नंबर 1 जो कि वरवक्त आवंटन नाबालिग होने तथा उसकी आयु आवंटन के समय 14 वर्ष होने के कारण आवंटन योग्य नही होने के बावजूद भी तथा भूमि आवंटन योग्य नही होते हुये भी विधि विरूद्ध तरीके से ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा मे स्थित भूमि खसरा नंबर 46 मे से 8 बीघा भूमि का अप्रार्थी नंबर 1 को अवैध तरीके से आवंटन कर खसरा नंबर 245, 246, 256, 260 कुल किता 4 कुल रकबा 1.81 हैक्टेयर भूमि अप्रार्थी नंबर 1 को दिनांक 29.6.1969 को तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी दौसा ने ग्राम मांगा भाटा तहसील दौसा मे स्थित भूमि खसरा नंबर 46 मे से 8 बीघा भूमि के किये गये विधि विरूद्ध आवंटन के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है। अप्रार्थी नंबर 1 को किया गया आवंटन विधि विरूद्ध एवं प्रक्रिया नियमों के विपरीत एवं क्षेत्राधिकार बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। आवंटन का

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:48 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

फार्म अप्रार्थी नंबर 1 द्वारा नही भरा गया इस बात का प्रमाण यह है कि अप्रार्थी नंबर 1 की आवंटन फार्म पर निशानी है जो कि किसी बडे व्यक्ति के अंगूठे की निशानी है क्योंकि अप्रार्थी नंबर 1 वरवक्त आवंटन नाबालिग था तथा उसकी आयु मात्र 14 वर्ष थी। तथा उस समय अप्रार्थी नंबर 1 पढाई कर रहा था परन्तु किसी बडे व्यक्ति की फर्जी अंगूठा निशानी करके फार्म भरा गया है। इसलिये मिसरिप्रजण्टेसन व फोड से आवंटन होने कारण आवंटन निरस्तनीय है। वरवक्त आवंटन अप्रार्थी नंबर 1 नाबालिग था तथा आवंटन के योग्य नही था जिसकी उम्र मात्र 14 वर्ष थी जिसका प्रमाण यह है कि अप्रार्थी नंबर 1 के पिता ने रेलवे डिपार्टमेंट मे नौकरी की है जिसमे फार्म नंबर 6 परिवार पेंशन योजना 1964 के प्रयोजनों के लिये परिवार के सदस्यों का विवरण फार्म मे क्रम संख्या 2 पर अप्रार्थी नंबर 1 का नाम अंकित है जिसकी जन्मतिथि 4.1.1955 है। इससे स्पष्ट है कि आवंटन के समय अप्रार्थी नंबर 1 नाबालिग था तथा कानूनन एक नाबालिग को आवंटन नही किया जा सकता है। इसलिये आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन तहसीलदार द्वारा किया गया है जो कि कानूनन तहसीलदार को आवंटन करने का क्षेत्राधिकार नही था परन्तु फिर भी क्षेत्राधिकार बाहर जाकर आवंटन किया गया हैं अतः आवंटन निरस्तनीय है। वरवक्त आवंटन आवंटन कमेटी मे कोरम भी पूरा नही था मात्र तहसीलदार व सरपंच दोनों के द्वारा बिना कोरम पूरा किये बिना ही आवंटन किया गया है। अतः आवंटन निरस्तनीय है। आवंटन के वक्त भूमि खाली भी नही थी तथा भूमि पर प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवारजन व बुजुर्गों का कब्जा था व मौके पर आज भी प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवारजन का कब्जा है । इसलिये भूमि खाली नही होने के कारण आवंटन योग्य भूमि नही थी। अतः आवंटन की शर्तें पूर्ण नही होने के कारण आवंटन विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्तनीय है। आवंटन के वक्त अप्रार्थी नंबर 1 नाबालिग 14 वर्ष का बालक होने के कारण तथा काश्तकार नही होने के कारण व भूमिहीन नही होने तथा उसके बुजुर्गों के नाम खातेदारी की भूमि होने के कारण आवंटन फार्म पर गलत रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा किये जाने के कारण आवंटन निरस्तनीय है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) आवंटन रूल्स 1970 स्वीकार फरमाकर अप्रार्थी नंबर 1 को ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा मे स्थित भूमि खसरा नंबर 46 मे से 8 बीघा भूमि के तहसीलदार एवं मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी दौसा द्वारा दिनांक 29.6.1969 को विधि विरूद्ध किये गये आवंटन को निरस्त फरमाया जावे।

4. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने बहस मे कथन किया कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र 14(4) आवंटन नियम 1970 प्रस्तुत करने का कोई लोकुस्टैण्डाई नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 के द्वारा आवंटन नियमों की पालना करने पर गैर खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरण खुला है। अप्रार्थी सं0 1 के आवंटन फार्म में उम्र 19 वर्ष लिखी हुई है ना कि 14 वर्ष। प्रार्थीगण के द्वारा जो दस्तावेज पेश किये गये है। वह जन्म तिथि से संबंधित नहीं है। यह बहुत बडी अनियमितता नहीं है। प्रार्थीगण के द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 29.6.1969 को लंबे अरसे के बाद चुनौती दी गई है लेकिन विलंब के लिए कोई प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 के बीच दावा डिक्री चल रहा है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने आगे बहस में कथन किया कि खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के उपरांत 14(4) आवंटन नियम 1970 चलने योग्य नहीं है। अप्रार्थी सं0 1 को भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गये है। अप्रार्थी सं0 1 की आयु आधार कार्ड एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र [illegible] 1950 है। अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1 ने अपने तर्को के समर्थन में अप्रार्थी सं0 1 का आधार कार्ड एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र एवं राज0 उच्च न्यायालय द्वारा [illegible] चिरंजी एवं अन्य बनाम राजस्व मंडल अजमेर एवं अन्य में पारित निर्णय एस.बी.सिविल रिट पिटीशन नं0 2909/2001 में पारित निर्णय दिनांक 5.1.2017 की प्रति प्रस्तुत कर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जाने हेतु निवेदन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:48 IST
Reason: SelfAttested

Dw
जिला कलेक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

5. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भू आवंटन सलाहकार समिति द्वारा दिनांक 29.6.1969 को अप्रार्थी सं0 1 के पक्ष में आवेदन प्रस्तुत करने पर विधिवत रूप से भूमि का आवंटन किया गया है। भूमि वर्तमान में अप्रार्थी सं0 1 की खातेदारी दर्ज है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

7. इस प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा सन 1969 को आवंटित की गई भूमि के विरूद्ध यह प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) आवंटन नियम 1970 के प्रस्तुत की गई है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर वर्तमान में खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा चुके है। एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनेक निर्णय जैसेकि (चिरंजी पुत्र हान्दू एवं अन्य बनाम राजस्व मंडल अजमेर एवं अन्य, शंकरलाल बनाम राजस्थान सरकार इत्यादि में यह स्पष्ट किया है कि खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के उपरांत 14(4) आवंटन नियम 1970 के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती है, एवं इन नियम के तहत केवल प्रशासनिक आवंटन आदेश के विरूद्ध निर्णय किया जा सकता है, एवं खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने उपरांत नहीं किया जा सकता है।

10. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र 14 (4) आवंटन नियम 1970 खारिज किया जाता है। आवंटन सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 29.6.1969 के द्वारा ग्राम मांगाभाटा तहसील दौसा के खसरा नंबर 46 रकबा 8 बीघा भूमि का अप्रार्थी शंभूलाल के पक्ष में किया गया आवंटन आदेश बहाल रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।बाद तकमील पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 30 जुलाई, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील 30 दिवस के भीतर सक्षम न्यायालय में की जा सकेगी।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:01:48 IST
Reason: SelfAttested